तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.6.17	पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पीठासीन अधिकारी की अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 27.11.17 को पेश हो। आदेश से रीडर
27-11-2017	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गयी निर्णय हेतु दिनांक 11-12-17 को पेश हो
11-12-19 Reject	पत्रावली पेश। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्व. पिता श्री भैरूलाल नाई के खाते एवं काबिज काश्त ग्राम छत्रीवाला के जमाबंदी सम्वत 2017 से 2021 की जमाबंदी मे स्थित आराजी नम्बर 869/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रिकार्ड की भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) के समय जोधपुर ख्वातेदार पर करवाई जिसमे आराजी नम्बर 869/2 की हाल आराजी नम्बर 1805/1136 रकबा 15 बिस्वा गलत तौर पर बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है अतः उक्त आराजियात पर प्रार्थी को काश्त व उपज भूमि को उपयोग उपभोग करने पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। विपक्षी को

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे

प्रार्थीगण के प्रार्थना व वकील वादी की बहस सुनी गई। जिससे द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल करने के कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं किये गये अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारीज किया जाता है।

आज दिनांक 11.12.2017 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नाम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner